

<p>भारत सरकार केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, महावीर नगर प्रथम, झालावाड रोड, कोटा - 324005, राजस्थान</p>		<p>Government of India Central Bureau of Narcotics O/o The Dy. Narcotics Commissioner Mahaveer Nagar-I, Jhalawar Road, Kota-324005, Rajasthan</p>
<p>STD : 0744, PBX : 2438928, DNC : 2438929; Fax: 2438927 E-mail: dynarcotics@bsnl.in ; dnc-kota@cbn.nic.in Website : www.cbn.nic.in</p>		

F.No.I(22)-6/Adm/2018-

Dated:- 02.03.2020

निविदा

इस कार्यालय के अधीनस्थ राजस्थान इकाई के जिला अफीम अधिकारी कार्यालयों के विभिन्न तौल केन्द्रों जैसे छीपा-बडोद, झालावाड, निम्बाहेड़ा, सिंगोलीश्याम, चित्तौड़गढ़-।/।। छोटीसादड़ी एवं प्रतापगढ़ तथा चित्तौड़गढ़ अफीम गोदाम इत्यादि पर माह अप्रैल, 2020 के प्रथम सप्ताह से अफीम तौल का कार्य किया जायेगा, जिसमें होने वाली विभिन्न गतिविधियों को जनसाधारण को दर्शाने के लिए सर्वर नेटवर्क रिकॉर्डिंग एवं मुख्यालयों पर सीधे प्रसारण हेतु क्युब कैमरों को उपरोक्त विभिन्न तौल केन्द्रों पर लगाए जाने हेतु सीमित निविदाएं आमत्रित की जाती है प्रत्येक तौल केन्द्र पर लगभग 6 क्युब कैमरे लगाए जाएंगे, जिनकी संख्या तौल केन्द्र की सुविधा अनुसार घटाई व बढ़ाई भी जा सकती है। क्युब कैमरों एवं सर्वर का विवरण निम्न लिखित विशिष्टी से कम नहीं होना चाहिए।

क्र.सं.	नाम उपकरण	Specifications
1	Cube/VGA Camera	Lences 4 mm to 16 mm changeable Min. Image resolution 640x480 Frame rate 50 Hz:25 fps (640x480), 60Hz:30fps (640x480) Shutter time 1/25S – 1/100,000s, Wi Fi enable
2	NVR Server	Minimum 8 vedio & audio input network enable Storage capacity for atleast 1 month
The above camera & the server box must have U-L Certification i.e. Electrical device under electrical business equipment tested & passed by approved laboratory.		

नियम व शर्तें

- उपरोक्त क्यूब कैमरों को विभिन्न तौल केन्द्रों पर माह अप्रैल में संबंधित जिला अफीम अधिकारी के निर्देशानुसार स्थापित करना होगा। सीमित निविदादाता को कैमरों, सर्वर बाक्स एवं कैमरों को स्थापित करने में प्रयुक्त होने वाले सभी उपकरण एवं संसाधन स्वयं उपलब्ध कराने होंगे। किसी प्रकार का कोई भी उपकरण एवं संसाधन विभाग द्वारा देय नहीं होगा, न ही इसके लिए अलग से कोई चार्ज देय होगा।
- कैमरों को लगातार 24 घंटे चालू रखने एवं निर्देशानुसार रिकॉर्डिंग करने हेतु आवश्यक सहायक/सहायकों, जिन्हे इस संबंध में पूर्ण जानकारी हो, सीमित निविदादाता द्वारा लगातार अफीम तौल केन्द्रों पर उपलब्ध कराने होंगे। समरत कैमरों को तौल केन्द्र पर लगाने (Installation), तौल के दौरान समरत रखरखाव (Masintenance), नियमित चलाने, रिकॉर्डिंग एवं लाईव प्रसारण की जिम्मेदारी स्वयं निविदादाता की होगी।
- निविदा प्रति कैमरा प्रति दिन मय सर्वर बाक्स एवं सभी उपकरण संसाधनों को सम्मिलित करते हुए मय सहायक/ऑपरेटर सहित देनी होगी, जिस पर "अफीम तौल कार्य हेतु क्यूब कैमरों की निविदा" अंकित होना चाहिए। किसी भी प्रकार के कर (taxes) आदि का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जायेगा।
- सभी केन्द्रों पर लगाए गए कैमरों द्वारा सीधा प्रसारण मुख्यालयों जैसे कोटा एवं ग्वालियर आदि पर एच डी क्वालिटी होना आवश्यक है तथा सीधे प्रसारण की रिकॉर्डिंग सुविधा मुख्यालयों पर भी उपलब्ध करवानी होगी।
- सील्ड निविदा दिनांक 13.03.2020 को 14.00 बजे तक प्राप्त हो जानी चाहिए। निविदा दिनांक 13.03.2020 को ही शाम 15.00 बजे उपरिथित निविदादाताओं के समक्ष खोली जाएगी।

6. निविदादाताओं को प्रति निविदा धरोहर राशि रु. 25000/- (पैच्चीस हजार मात्र) का ड्राफ्ट जो अधीक्षक कार्यपालक, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, कोटा के नाम देय होगा, निविदा के साथ संलग्न कराना होगा।
7. दैनिक रिकार्डिंग की ऑडियो एवं विडियो सी.डी./डी.वी.डी. विभाग द्वारा निविदादाता को उपलब्ध कराई जाएगी। दैनिक रिकार्डिंग की डी.वी.डी. जिला अफीम अधिकारी के निर्देशानुसार तैयार कर देनी होगी।
8. स्वीकृत निविदा वाली फर्म को इस विभाग के बन्दोबस्त केन्द्रों (4 कैमरे प्रत्येक) पर भी उसी दर एवं शर्तों पर कार्य करना होगा। जो माह सितम्बर अथवा अक्टूबर में शुरू होगा।
9. यदि कोई भी कैमरा खराब/बन्द होता है तो उसे तुरन्त चलाना/बदलना होगा।
10. फर्म द्वारा संतोषजनक कार्य न किए जाने की स्थिति में फर्म का भुगतान रोका जा सकता है/कटौती की जा सकती है एवं धरोहर राशी भी जप्त की जा सकती है।
11. इस संदर्भ में कोई भी कानूनी कार्यवाही कोटा न्यायालय के अधीन होगी।
12. सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित होगा। किसी भी निविदा/सभी निविदाओं को बिना कारण बताए निरस्त करने अथवा नई निविदा आमंत्रित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित होगा।
13. जी.एस.टी रजिस्टर्ड फर्म का ही कोटेशन मान्य होगा, कोटेशन में दर जी.एस.टी. सहित दर्शायें।

आज्ञा से

(विकास जाईशा)

उप नारकोटिक्स आयुक्त
राजस्थान, कोटा

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. श्रीमान सहायक नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया उक्त निविदा को विभाग की वेब साईट www.cbn.nic.in पर देने का श्रम करें।
2. जिला अफीम अधिकारी, कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़- ।/ ॥/ ॥।, प्रतापगढ़ ।/ ॥ को इस आशय से प्रेषित है कि आप आपके इलाके में प्रचलित एवं प्रतिष्ठित फर्मों को सूचित करें।

अधीक्षक (प्रशासन)
कोटा, राजस्थान